

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठाधीन अधिकारी - ओमप्रकाश (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 37/2025

साथ दिनांक - 07.02.2025

### सम्वान

1. कोमल देवी पति रामजस बैरवा नि. तस्वारिया बासा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा। ----- ( प्रार्थी)

### बनाम

1. घन्ना लाल पिता रामदयाल खटीक नि. तस्वारिया बासा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा।
2. पीसा पिता श्रीकिशन बैरवा नि. तस्वारिया बासा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा।
3. दुर्गालाल पिता हीरा बैरवा नि. तस्वारिया बासा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा।
4. हगामी पति हीरा बैरवा नि. तस्वारिया बासा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा। ----- ( अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता----- श्री योगेश आगाल

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.राजस्य अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

### आदेश

दिनांक - 11.09.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्य अधिनियम 1956 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम तस्वारिया बासा पटवार मण्डल तस्वारिया बासा भू.अ.नि. बासेडा तहसील फुलियाकंला में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 1093 के आ.न. 1584, 1585 कुल कित्ता 02 कुल रकबा 02.5300 हेक्टर भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसीगण हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जाये।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को बजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस वाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

### आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम तस्वारिया बासा पटवार मण्डल तस्वारिया बासा भू.अ.नि. बासेडा तहसील फुलियाकंला में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 1093 के आ.न. 1584, 1585 कुल कित्ता 02 कुल रकबा 02.5300 हेक्टर भूमि की पत्थरगढ़ी बसागलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक बासेडा को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समग एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। किसी भी न्यायालय से आराजीयात पर रथगन होने की दशा में तथा गौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुरतकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। उक्त पत्थरगढ़ी के दौरान किसी विपक्षी/अन्य खातेदार के कब्जे वाली आराजी में पत्थरगढ़ी हो जाती है तो उक्त आराजी प्रार्थी के स्वागित्व का घेतक नही है। अतः प्रार्थी को इच्छित अनुतोष प्राप्त करने हेतु विधि अनुसार सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना होगा। बैंक हित अप्रभावित रहेगें। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। यह आदेश आज दिनांक 11.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश)

उपखण्ड अधिकारी,  
फुलियाकंला, जिला भीलवाड़ा  
उपखण्ड अधिकारी  
फुलियाकंला, जिला-भीलवाड़ा